निगरानी / एलआर / 328 / 2005 / बीकानेर
जीवणराम बनाम सायर कंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.09.2019	**एकल–पीठ** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री जी0एस0 लखावत अधिवक्ता प्रार्थी । अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं। **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (संसक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 84 के अंतर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या संख्या 16/2002 शीर्षक जीवण राम बनाम सायर कॅवर में पारित निर्णय दिनांक 29–12–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 व 2 जीवणराम व बुद्धा राम ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र ग्राम नेनसर की खसरा संख्या 81 की 22 बीघा 1 बिस्वा भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 3 गंगासिंह से क्रय की तथा विक्रय पत्र के आधार पर उक्त प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम नामा. संख्या 618 दिनांक 27–6–91 को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित बयनामा के आधार पर नामा. संख्या 618 के बाद में पूर्व में पारित नामा. संख्या 596 दिनांक 7–11–90 के विरुद्ध एक अपील प्रेमसिंह की पुत्री बताते हुए प्रार्थी संख्या एक ने उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के न्यायालय में पेश की तथा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 1–3–2002 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष पेश की तथा अपील के लम्बित रहते प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया तथा गोदनामा की लिखा पढी एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र व जमाबंदी सम्वत् 2010–13 तथा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004 को साक्ष्य में लिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर ने आक्षेपित आदेश दिनांक 29–12–2004 इस आशय का पारित किया कि अपीलाण्ट गोदनामे की मूल लिखा पढी प्रस्तुत करें, इस सीमा तक साक्ष्य की अनुमति दी गई। नकल जमाबंदी सम्वत् 2010–13 तथा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004 को साक्ष्य में ग्रहण नहीं करने का आदेश दिया गया। साथ ही आदेश दिया गया कि रैस्पो0, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के विरोध में कोई साक्ष्य पेश करना चाहें तो वे स्वतंत्र हैं। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।	

निगरानी / एलआर / 328 / 2005 / बीकानेर
जीवणराम बनाम सायर कंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी अपनी निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की स्थिति में ही न्यायालय विपक्षी पक्षकार को रिबटल में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है । चूँकि जब अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को ही खारिज कर दिया तो विपक्षीगण को दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने में उनके द्वारा अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आदेश पारित किया है। अन्त में निगरानीधीन आदेश दिनांक 29-12-2004 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को स्वीकार करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि गंगासिंह को प्रेमसिंह का दत्तक पुत्र बताते हुये प्रश्नगत इंतकाल उसके पक्ष में स्वीकृत किया गया है जब कि वर्तमान अप्रार्थी संख्या-1 सायर कॅवर स्वयं को एकमात्र पुत्री-वारिस, प्रेमसिंह का होना बताते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण के विरुद्ध अपील में आई है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 1-3-2002 के द्वारा प्रकरण को तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया था। गंगूसिंह से जीवणराम के द्वारा आराजी को क्रय किया गया और उक्त निर्णय के विरुद्ध जीवणराम व गंगूसिंह द्वारा अति0 सम्भागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील में अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी इस आशय का पेश किया था कि गंगासिंह को मु0 सिरुकॅवर द्वारा गोद लिए जाने संबंधी **गोदनामा की लिखा पढी** एवं **उसके समर्थन में शपथ पत्र** व **जमाबंदी सम्वत् 2010-13 तथा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004** को साक्ष्य में लिया जाये। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर ने मूल गोदनामा पेश करने की अनुमति प्रदान की है, जो कि न्यायोचित है। इयके अलावा नकल जमाबंदी सम्वत् 2010-13 तथा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004 को वे इस पुष्टि हेते पेश करना चाहते थे कि प्रेमसिंह की मृत्यु 1956 से पहले हो गई है। रैस्पो0 के अधिवक्ता भी प्रेमसिंह की मृत्यु 1956 से पहले होना मानते हैं, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2010-13 तथा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004 को साक्ष्य में ग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं करने में कोई अनियमितता नहीं की है क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा इस बिन्दु को स्वीकार करने से इस बिन्दु पर किसी साक्ष्य की आवश्यकता नही रही है। जब दोनो पक्ष किसी बिन्दु को स्वीकार लेते है तो उसी बिन्दु बावत किसी भी पक्ष द्वारा उसी बिन्दु से सम्बन्धित किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जहॉ तक अपने आदेश में ये निर्देश दिए हैं कि रैस्पो0, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के विरोध में कोई साक्ष्य पेश करना चाहें तो वे स्वतंत्र हैं, वह मुख्य रुप से गोदनामा को	

<u>निगरानी/एलआर/328/2005/बीकानेर</u>
जीवणराम बनाम सायर कंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिकार्ड पर लेने को देखते हुये ही दिए गए हैं और रैस्पो0 को अपना पक्ष रखने का न्यायोचित रुप से अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को गोदनामा के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया है और जमाबंदी सम्वत् 2010-13 तथा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004 को पेश करने के सम्बन्ध में अस्वीकार किया गया है। आदेश 41नियम 27, सी0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत न्याय निर्णय में निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिए सहायक होने वाले दस्तावेजात को ही न्यायालय रिकार्ड पर ले सकते हैं और यह न्यायालय का स्व-विवेकीय अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक विवेक का सदुपयोग करते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया है। निगरानी का क्षेत्राधिकार बेहद सीमित होता है और सीमित क्षेत्राधिकार को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरुप यह निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	